The Madhya Pradesh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995

Act No. 26 of 1995

Keywords:

Backward Classes

Amendment appended: 13 of 2021

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

MADHYA PRADESH ACT

No. 26 OF 1995

THE MADHYA PRADESH RAJYA PICHHADA VARG AYOG ADHINIYAM, 1995.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

CHAPTER I— PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II—THE STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES

3. Constitution of State Commission for Backward Classes.
4. Term of office and conditions of service of Chairperson and Members.
5. Officers and other employees of the Commission.
6. Salaries and allowances to be paid out of grants.
7. Vacancies etc. not to invalidate proceedings of the Commission.
8. Procedure to be regulated by the Commission.

CHAPTER III—FUNCTIONS AND POWERS OF THE COMMISSION

9. Functions of the Commission.
10. Powers of the Commission.
11. Periodic revision of lists by the State Government.

CHAPTER IV—FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

12. Grants by the State Government.
13. Accounts and Audit.
14. Annual Report.
15. Annual report and audit report to be laid before the Legislative Assembly.

CHAPTER V—MISCELLANEOUS

16. Chairperson, Members and employees of the Commission to be public servants.
17. Protection of action taken in good faith.
18. Power to make rules.
19. Power to remove difficulties.
20. Dissolution and Saving.

MADHYA PRADESH ACT

No. 26 OF 1995.

THE MADHYA PRADESH RAJYA PICHHADA VARG AYOG ADHINIYAM, 1995.

[Received the assent of the Governor on the 24th May, 1995; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 29th June, 1995.]

An Act to constitute a State Commission for Backward Classes other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh State Legislature in the Forty-sixth year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I—PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) "Backward Classes" means such backwards classes of citizens other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as are specified by the State Government *vide* Notification No. F. 85-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time.

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Rajya Pichhada Varg Ayog constituted under Section 3;

(c) "List" means list of backward classes as prepared by the State Government *vide* Notification No. F. 85-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984, as amended from time to time;

(d) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairperson.

CHAPTER II—THE STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES

Constitution of State Commission for Backward Classes.

3. (1) The State Government shall constitute a body to be known as the Madhya Pradesh Rajya Pichhada Varg Ayog to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Commission shall consist of the following members.—

(a) three non-official members who have special knowledge in the matters relating to backward classes of whom one shall be the Chairperson, to be appointed by the State Government :

Provided that atleast one of the members shall be from amongst Backward Classes.

(b) Director, Backward Classes Welfare, Madhya Pradesh.

Term of office and conditions of service of Chairperson and Members.

4. (1) Every non-official member of the Commission shall hold office for a term of three years from the date he assumes charge of his office.

(2) A member may, by writing under his hand addressed to the State Government, resign from the office of Chairperson or the case may be, of member at any time.

(3) The State Government shall remove a person from the office of member if that person—

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of Chairperson or Member as to render his continuance in office detrimental to the interests of backward classes or the public interest :

Provided that no person shall be removed under this clause unless he has been given an opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination and the person so nominated shall hold office for the remainder terms of his predecessor.

(5) The salaries and allowance payable to, and the other terms and conditions of service of, the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission.

5. (1) The State Government shall appoint a Secretary to the Commission and provide the Commission with such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

(2) The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of grants.

6. The salaries and allowances payable to the Chairperson and members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the Secretary, officers and other employees referred to in Section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of Section 12.

Vacancies, etc. not be invalidate proceedings of the Commission.

7. No act or proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Procedure to be regulated by the Commission.

8. (1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairperson may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

CHAPTER III—FUNCTIONS AND POWERS OF THE COMMISSION

Functions of the Commission.

9. (1) It shall be the function of the Commission,—

(a) to act as watch-dog commission for the protection afforded to the members of the backward classes under the Constitution and under any other law for the time being in force.

(b) to watch the proper and timely implementation of programmes meant for the Welfare of backward classes and to suggest improvement in such programmes of the State Government or any other body or authority responsible for implementation of such programmes.

(c) tender advice regarding reservation for backward classes in public services and for admission in educational institutions.

(d) to examine requests for inclusion of any of the citizens as backward classes in the list prepared by State Government from time to time for purposes of making provision for the reservation in appointments in the posts and here complaints of over-inclusion or under-inclusion of any backward class in such lists and tender such advice to the State Government as it deems appropriate;

(e) ascertain the category of person or groups falling under the creamy layer within the backward classes;

(f) to perform such other functions as may be assigned to it by the State Government.

(2) The advice of the Commission shall, ordinarily be binding upon the State Government; where, however, the Government does not accept the advice, it shall record its reasons therefor.

Powers of the Commission.

10. The Commission shall, while performing its functions under sub-section (1) of Section 9, have all the powers of a Civil Court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of the State and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and

(f) any other matter which may be prescribed.

Periodic revision of lists by the State Government.

11. (1) The State Government may at any time, and shall, at the expiration of ten years from the coming into force of this Act and every succeeding period of ten years thereafter, undertake revision of the lists of Backward Classes with a view to excluding from such list those classes who have ceased to be backward classes or for including in such list new backward classes.

(2) The State Government shall, while undertaking any revision referred to in sub-section (1), consult the Commission.

CHAPTER IV—FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Grants by the State Government.

12. (1) The State Government shall, after due appropriation made by Legislative Assembly by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

Accounts and Audit.

13. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the State Government.

(2) The Accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General of Madhya Pradesh at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.

Annual Report. 14. The Commission shall prepare, in such form and at such for each financial year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

Annual report and audit report to be laid before the Legislative Assembly. 15. The State Government shall cause the annual report together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission under Sections 9 and 11 and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such advice and the aduit report to be laid as soon as may be after they are received before the Legislative Assembly.

CHAPTER V—MISCELLANEOUS

Chairperson, Members and employees of the Commission to be public Servants. 16. The Chairperson, Members, Officers and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Protection of action taken in good faith. 17. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any member, officer or employee of the Commission for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Power to make rules. 18. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of, the Chairperson and Members under sub-section (5) of Section 4 and the Secretary, Officers and other employees under sub-section (2) of Section 5.

(b) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under-sub-section (1) of Section 13;

(c) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under Section 14.

(d) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made on the table of the Legislative Assembly.

Power to remove difficulties. 19. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall as soon as may be after it is made, be laid on the table of the Legislative Assembly.

Dissolution and Saving. 20. (1) The Madhya Pradesh Backward Classes Commission constituted vide Notification No. F. 12-21-XXV-4-92, dated 13th March, 1993 shall stand dissolved on the constitution of the Commission under Section 3.

(2) Notwithstanding such dissolution, anything done or any action taken by the said Commission or by the State Government in pursuance of its recommendation shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1995.

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 291, भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जून 1995—आषाढ़ 8, शक 1917 में प्रकाशित]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जून 1995

क्र. 7150-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 24 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 26 सन् 1995.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995.

विषय-सूची.

धाराएं :

अध्याय 1—आरंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय 2—राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

3. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन.
4. अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें.
5. आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी.
6. वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा.
7. रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.
8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना.

अध्याय 3—आयोग के कृत्य तथा शक्तियां

9. आयोग के कृत्य.
10. आयोग की शक्तियां.
11. राज्य सरकार द्वारा सूचियों का नियतकालिक पुनरीक्षण.

अध्याय 4—वित्त, लेखा और संपरीक्षा

12. राज्य सरकार द्वारा अनुदान.
13. लेखा तथा संपरीक्षा.
14. वार्षिक रिपोर्ट.
15. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना.

अध्याय 5—प्रकीर्ण

16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे.
17. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
18. नियम बनाने की शक्ति.
19. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.
20. विघटन तथा व्यावृत्ति.

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' दिनांक 20 जून 1995]

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 26 सन् 1995

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995

[दिनांक 24 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 29 जून, 1995 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1—प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''पिछड़े वर्गों'' से अभिप्रेत है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये हैं;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग;

(ग) ''सूची'' से अभिप्रेत है पिछड़े वर्गों की सूची जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा तैयार किया गया है;

(घ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य और इसमें अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सम्मिलित है;

अध्याय 2—राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन.

3. (1) राज्य सरकार, एक निकाय का गठन करेगी जो मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा.

(2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(क) तीन अशासकीय सदस्य जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हैं जिनमें से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य पिछड़े वर्गों में से होगा.

(ख) संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश.

अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें.

4. (1) आयोग का प्रत्येक अशासकीय सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा.

(2) कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा यथास्थिति अध्यक्ष या, सदस्य का पद त्याग सकेगा.

(3) राज्य सरकार, सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी, यदि वह व्यक्ति,—

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है तथा कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है;

(ग) विकृतचित हो जाता है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना, आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना पिछड़े वर्गों के हितों या लोकहित के लिये अपायकर हो गया है:

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है.

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा कारित रिक्ति को नया नामनिर्देशन करके भरा जाएगा तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के पद की शेष अवधि तक पद धारण करेगा.

(5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए.

आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी.

5. (1) राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी तथा आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये आवश्यक है.

(2) आयोग के प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए.

वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा.

6. अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्ययों, जिसके अन्तर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन हैं, का भुगतान धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जाएगा.

7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है. **रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.**

8. (1) आयोग जब और जितनी बार भी आवश्यक हो, अपना सम्मिलन ऐसे समय तथा स्थान पर करेगा, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे. **प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना.**

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा.

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय, सचिव द्वारा या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे.

अध्याय 3—आयोग के कृत्य तथा शक्तियां

9. (1) आयोग का कृत्य होगा कि वह— **आयोग के कृत्य.**

(क) पिछड़े वर्गो के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करें;

(ख) पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी करे तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में, जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं, सुधार हेतु सुझाव दें;

(ग) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दें;

(घ) पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करना और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को पात्र न होने पर भी सम्मिलित करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की शिकायतों को सुने और राज्य सरकार को ऐसी सलाह दे जैसी कि वह उचित समझे;

(ङ) पिछड़े वर्ग में, सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह के प्रवर्ग सुनिश्चित करे;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं;

(2) आयोग की सलाह साधारणत: राज्य सरकार पर आबद्धकर होगी तथापि जहां सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहां वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगी.

10. आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बावत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:— **आयोग की शक्तियां.**

(क) राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना.

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए.

राज्य सरकार द्वारा सूचियों का नियत-कालिक पुनरीक्षण.

11. (1) राज्य सरकार पिछड़े वर्गों की ऐसी सूची में से उन वर्गों के नाम अपवर्जित करने के उद्देश्य से जो पिछड़े वर्ग के नहीं रह गये हैं या ऐसी सूची में नये पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से किसी भी समय पुनरीक्षण का कार्य हाथ में ले सकेगी और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से दस वर्ष की समाप्ति पर तथा उसके पश्चात् की दस वर्ष की प्रत्येक पश्चात्वर्ती कालावधि की समाप्ति पर ऐसे पुनरीक्षण का कार्य हाथ में लेगी.

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पुनरीक्षण का कार्य हाथ में लेते समय, आयोग से परामर्श करेगी.

अध्याय 4—वित्त, लेखा और संपरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान.

12. (1) राज्य सरकार, विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जैसा कि राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाने के लिये उचित समझे.

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन के लिये जितनी राशि उचित समझे उतनी राशि का व्यय कर सकेगा और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से सदैव व्यय के रूप में माना जाएगा.

लेखा तथा संपरीक्षा.

13. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, विहित किया जाए.

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा.

वार्षिक रिपोर्ट.

14. आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का सम्पूर्ण विवरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.

वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना.

15. राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट को और उसके साथ आयोग द्वारा धारा 9 तथा 11 के अधीन दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई और यदि ऐसी किसी सलाह को स्वीकार नहीं किया है तो ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का, यदि कोई हों, एक ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट को ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखवाएगी.

अध्याय 5—प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे.

16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

17. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध नहीं होगी. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.**

18. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी. **नियम बनाने की शक्ति.**

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें;

(ख) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा;

(ग) धारा 14 के अधीन वह प्ररुप जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए.

(3) इस अधिनियम केअधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

19. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो: **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.**

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

20. (1) अधिसूचना क्रमांक एफ-12-21-पच्चीस-4-92, तारीख 13 मार्च, 1993 द्वारा गठित किया गया मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, धारा 3 के अधीन आयोग का गठन होने पर विघटित हो जाएगा. **विघटन तथा व्यावृत्ति.**

(2) ऐसे विघटन के होते हुए भी, उक्त आयोग द्वारा की गई किसी भी बात या कार्रवाई या उसकी सिफारिश के अनुसरण में, राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात या कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196] भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2021—चैत्र 13, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2021

क्र. 5136-177-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 अप्रैल, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०२१

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, २०२१

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ३ का संशोधन.

४. धारा ९ का संशोधन.

५. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०२१

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, २०२१

[दिनांक २६ मार्च, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३० मार्च, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, १९९५ (क्रमांक २६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(घ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, आयोग का सदस्य और इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सम्मिलित होंगे.''.

धारा ३ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२) आयोग का गठन निम्नानुसार होगा,—

(क) पांच अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हों तथा उनके कार्य के लिए जाने जाते हों;

(ख) इनमें से एक सदस्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में तथा एक अन्य सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा;

(ग) अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होंगे और कम से कम एक सदस्य महिलाओं में से भी नियुक्त किया जाएगा.''.

धारा ९ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ९ में,—

''(एक) उपधारा (१) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(क) पिछड़े वर्गों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करना और पिछड़े वर्गों के अधिकारों एवं रक्षोपायों से वंचित किये जाने से संबंधित शिकायतों की जांच करना:'';

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२) राज्य सरकार पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति. ५. (१) मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १० सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2021

क्र. 5136-177-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 13 OF 2021

THE MADHYA PRADESH RAJYA PICHHADA VARG AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 3.
4. Amendment of Section 9.
5. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT

No. 13 OF 2021

THE MADHYA PRADESH RAJYA PICHHADA VARG AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021

[Received the assent of the Governor on the 2nd April, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 3rd April, 2021.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-second year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Pichhade Varg Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021.

Amendment of Section 2.

2. For clause (d) of Section 2 of the Madhya Pradesh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995) (hereinafter referred to as the principal Act), the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) "Member" means a Member of the Commission and shall include the Chairperson and Vice-Chairperson.".

Amendment of Section 3.

3. For sub-section (2) of section 3 of the principal Act, the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(2) The commission shall consist of the following,—

(a) five non-official members appointed amongst the persons who have knowledge of the matters relating to backward classes and are known to have worked for their cause;

(b) one of the members shall be appointed as the Chair-person and another member shall be appointed as the Vice-chairperson of the Commission;

(c) the Chair-person and at least two other member shall be persons belonging to the backward classes and also at least one of the member shall be appointed amongst women;".

Amendment of Section 9.

4. In Section 9 of the principal Act,—

(i) for clause (a) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) to act as watch-dog commission for the protection afforded to the members of the backward classes under the Constitution and under any law for the time being in force and to inquire into complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the backward classes;";

(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting the backward classes.".

Repeal and saving.

5. (1) The Madhya Pradesh Rajya Pichhada Varg Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2021 (No. 10 of 2021) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.